न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
287/18	15.11.11	28.12.22

उनवान

1. रूपसिंह पुत्र ईसर जाति चमार निवासी झिरण्डिया तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:–वादी

बनाम

1. फातमा पत्नी पप्पू उर्फ हप्पू
2. धूपी पत्नी दानसिंह उर्फ दन्दडी
3. सायरा पत्नी दीनू
4. रूकसीना पत्नी बसरूदीन
5. ईजाज पुत्र पप्पू जाति मेव निवासी झिरण्डिया तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।
6. राज0 स्टेट जर्ये तहसीलदार किशनगढबास

:–प्रतिवादीगण

दावा दुरूस्ती मय हुक्मइम्तनाई दवामी

उपस्थितिः–1. वादी की ओर से शीतल प्रसाद वकील।

2. प्रतिवादीगण की ओर से श्री दमन यादव वकील

निर्णय

वकील वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया है कि आराजी ख0नं0 585/247 रकबा 4.4000हे0, वाके ग्राम झिरण्डिया अज किस्म बंजड स्थित है जिसमें से रकबा 02 बिस्वा पर प्रतिवादीगण की आराजी खसरा नं0 203/0.37हे0 तरफ पूर्व को वो आम रास्ता

28/12/22

के तरफ पश्चिम को यानि दोनो के बीच में स्थित रिहायशी मकानात स्थित है। जो रकबा 02 बिस्वा उक्त आराजी का वाद में विवादित आराजी कहलायेगी। आराजी ख0 नं0 201/0.37, 202/0.35हे0, 203/0.37हे0, किता 3 कुल रकबा 1.09हे0 (4 बीघा 7 बिस्वा) वाके ग्राम झिरण्डिया तहसील किशनगढबास में स्थित है जो पहले कस्टोडियन सरकारी भूमि थी जिसे फतेमोहम्मद पुत्र जोधसिंह मेव व विजेन्द्र पुत्र गिर्राज जाट निवासी झिरण्डिया ने गलत आधार पर अलोट कराकर हकूक खातेदारी बमिल्लत राजस्व कर्मचारी वो प्रतिवादी सं0 6 प्राप्त कर लिया वो प्रतिवादी सं0 6 उसके अधिनस्थ कर्मचारी से साजबाज होकर मिल्लत करके गलत इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में करा लिया वो गलत इन्द्राज के आधार पर फतेहसिंह वो अपने 2/3 हिस्से मे से 1/3 हि0 प्रतिवादनी संख्या 1 को व 1/3 हिस्सा प्रतिवादनी सं0 2 को बेचान कर दिया व बिजेन्द्र ने अपना 1/3 हिस्सा प्रतिवादीनी संख्या 3 व 4 बेचान कर दिया

आराजी ख0 नं0 201/0.37, 202/0.35हे0, 203/0.37हे0, किता 3 कुल रकबा 1.09हे0 (4 बीघा 7 बिस्वा) है परन्तु राजस्व कर्मचारियों अधिकारियों वो प्रतिवादी सं0 6 ने उक्त आराजी का जो नक्शा ट्रेस पैमूद किया है वह 4 बीघा 7 बिस्वा का न होकर 4 बीघा 11 बिस्वा का पैमूद किया है जो नक्शा ट्रेस का रकबा वो जमाबन्दी में अंकित रकबा 4 बीघा 07 बिस्वा का ही नक्शा ट्रेस बनाया जाना चाहिये जो नक्शा हकूक वादी के विरूद्ध बातिल वो बेअसर है नाकाबिल पाबन्दी है वो प्रभावशून्य है जो नक्शा ट्रेस दुरूस्त किये जाने योग्य है नक्शा ट्रेस मे से 04 बिस्वा कम किया जाकर दुरूस्त किया जाना चाहिये।

आराजी ख0नं0 201 का रकबा 0.37हे0 व 202 का रकबा 0.35हे0 व 203 का रकबा 0.37हे0 है जो तीनो खसरा नंबरान का बिल्कुल समान रकबा है परन्तु जो नक्शा ट्रेस बनाया है वो भिन्न भिन्न रकबा का बनाया हुआ है नक्शा ट्रेस में देखने से गलती साफ दिखाई देती है कि नक्शा 201 का रकबा 0.37हे0 का है उसी के अनुसार उतनी ही लम्बाई चौडाई का दूसरे नम्बरान 202 वो 203 के समान नक्शा बनाया जाना चाहिये । नक्शा से प्रतीत होता है कि 201 का जो रकबा है उसके बाद 202 का रकबा ज्यादा है व 203 का उससे ज्यादा रकबा का नक्शा बनाया गया है 203 का रकबा 4 बिस्वा ज्यादा का नक्शा ट्रेस बनाया गया है। नक्शा गलत होने के कारण प्रतिवादीगण जबरन से वादी के रिहायशी मकानात जो 585/247 में कब्जा करना चाहते है।

दिनांक 21.10.2011 प्रतिवादी संख्या 6 के आदेश की पालना में दिनांक 22.10.2011 को को आईएल0आर खानपुर मेवान एवं पटवारी हल्का गंज ने खसरा नं0 201,202,203 के तरफ पूर्व को ख0नं0 585/247 रकबा 4.4000हे0 स्थित है जिसमें 02 बिस्वा में वादी की रिहायश स्थित है वो उसके बादरास्ता आम स्थित है।

28/12/22

खसरा नं0 203 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा का नक्शा ट्रेस होना चाहिये जमाबन्दी रिकार्ड के अनुसार ही 01 बीघा 09 बिस्वा नक्शा होना चाहिये परन्तु प्रतिवादीगण ने प्रतिवादी सं0 6 से मिलकर खसरा नम्बर 203 का नक्शा में रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा के बजाय 1 बीघा 13 बिस्वा का पैमूद कराया हुआ है। 04 बिस्वा रकबा बंजड खसरा नम्बर 585/247 का मिला हुआ है। जिस 04 बिस्वा से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का कोई सम्बन्ध वो सरोकार नही है।खसरा नं0 203/0.37हे0 (1 बीघा 09 बिस्वा) के तरफ पूर्व को बंजड सरकारी भूमि खसरा नं0 585/247 रकबा 4.4000हे0 स्थित है वो 203 के तरफ पूर्व वो आम रास्ता के बीच मे 04 बिस्वा (0.05हे0) स्थित है जिसमें रकबा 2 बिस्वा में वादी के दादा पिता ने रिहायश के लिए मकानात छप्पर गुवाडा की नाप इस प्रकार है 50X57 फुट कुल क्षेत्रफल 2850 वर्ग फुट (02 बिस्वा) बनाये हुये है जो दो छप्पर बना रखे है पेड कीकर आदि लगाये हुये है भेड बकरियों का रिवाडा बनाया हुआ है व चारो तरफ पत्थरो की दीवार बना रखी है पहले वादी का दादा पिता उक्त रिहायशी मकानात में काबिज होकर उपयोग उपभोग करते रहे है वो उनकी मृत्यु के पश्चात् मिन वादी काबिज होकर उपभोग उपभोग करता चला आ रहा है। आज भी मौके पर काबिज वो दखिल हू। जिससे प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 5 का कोई सम्बध वो सरोकार नही है। रिहायशी मकानात का हूददअर्बा निम्न प्रकार है। पूर्व को रास्ता आम, पश्चिम को प्रतिवादीगण की आराजी खसरा नम्बर 203, उत्तर को मकानात सालिया, दक्षिण को आराजी बल्लाराम जाट व हेन्ड पम्पसरकारी स्थित है। नक्शा रिहायशी मकानात वाद के साथ पेश किया जा रहा है। जो खसरा नम्बर 585/247 रकबा 4.4000 हे0 मे से रकबा 02 बिस्वा में स्थित है।

प्रतिवादीगण की आराजी ख0न0 203 के तरफपूर्ण वा रास्ता आम के बीच स्थिति आराजी ख0न0 585/247 रकबा 2 बिस्वा में रिहायशी मकानात छप्पर गुवाडा आदि अर्सा करीब 50–60 साल पूर्व बनाये हुये है। पहले वादी का दादा वो पिता वो वादी अपने परिवार सहित काबिज वो दखील है । वो उपभोग उपयोग करता है। वो जायद अज 12 साल से ज्यादा समय से शान्ति पूर्वक उपभोग उपयोग कर रहा है। वो जर्येएडवर्सपजेशन कब्जा मुखालफाना खसरा नम्बर 203 के पूर्व वो रास्ता के तरफ पश्चिम को स्थित ख0न0 585/247 रकबा 4.4000हे0 मे से 2 बिस्वा वाके ग्राम झिरण्डिया का अपने आपका खातेदार घोषित कराने का अधिकारी है। नकशा टैस मे संशोधन प्रतिवादी सं0 6 के द्वारा किया जाना है प्रतिवादी सं0 6 सरकारी कर्मचारी है जिसे दावा संपूर्ण धारा 80 जा0दी0 दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 गलत नक्शाट्रैस के आधार पर प्रतिवादीगण वादी के रिहायशी मकानात पर कब्जा करने का जूस्तजू है दिनांक 13.11. 2011 को भी असफल प्रयास किया दायर किया जा रहा है प्रार्थना पत्र धारा 80(2) जा0दी0 अलग से पेश है।

28/12/11

अतः प्रार्थना है कि वाद तहकीकात वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी किया जावेः—

1.— घोषित किया जावे कि प्रवितादीगण की आराजी ख0न0 203 के तरफ पूर्व वो रास्ता के तरफ पश्चिम को स्थित आराजी ख0न0 585/247 रकबा 4.4000हे0 मे से 50X57 वाके ग्राम झिरण्डिया तहसील किशनगढबास जिसका हदूद पूर्व में रास्ता आम पश्चिम को प्रतिवादीगण की आराजी ख0न0 203 वो दक्षिण को अराजी बल्लाराम जाट व सरकारी हेण्डपम्प उत्तर को मकानात सालिया से स्थित है का वादी खातेदार है।

2. नक्शा ट्रेस ख0न0 201,202,203 मे से खसरा नम्बर 203 का क्षेत्रफल मुताबिक जमाबंदी रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा का है जमाबंदी के 1 बीघा 13 बिस्वा का बनाया हुआ है। जो नक्शा टेस मे से 04 बिस्वा कम की जाकर 1 बीघा 9 बिस्वा का नक्शा ट्रेस संशोधित किया जावे।

3— प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण की आराजी ख0न0 203 वाके ग्राम झिरण्डिया के तरफ पूर्व वो रास्ता आम के तरफ पश्चिम के बीच में स्थित (0.05) बंजड किस्म मे स्थित वादी के रिहायशी मकानात, छप्पर जबरन कब्जा करे ना ही ादी के उपभोग उपभोग मे मजाहमत पैदा करें ना ही प्रतिवादीगण अपनी आराजी ख0न0 201,203,202 मे कोई जूज या हिस्सा दबाकर कब्जा नही करे। अपनी आराजी मे नही मिलाये। प्रतिवादीगण अपनीआराजी ख0न0 201/0.37, 202/0.35हे0, 203/0.37 हे0 तक ही सीमित रहे उससे ज्यादा भूमि पर अतिक्रमण नही करे।

4— यह है कि खर्चा मुकदमा वादी वो प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

5— दीगर दादरसी हो बनजदीक अदालत मुनासिब हो बख्शी जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रातिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तामील प्रतिवादीगण ने जवाब पेश किया कि वादी का वाद गलत है स्वीकार नही है। विवादित आराजी ख0न0 201/0.37, 202/0.35हे0, 203/0.37 हे0 मिन प्रतिवादीगण की खरीद शुद्वा बाकब्जा समस्त प्रतिफल राशि अदा कर खरीद किया हुआ है। मौके पर काबिज है।प्रतिवादी गैरकाबिज गेर वास्ता है जिसको इस प्रकार से नक्शा ट्रैस कराने का कोई कानूनी हक हासिल नही है। रकबा के अनुसार ही नक्शा

28/12/22

ट्रैस राजस्व अधिकारीयो द्वारा बनाया गया है। वादी का विवादित आराजी ख0न0 203 से कोई संबंध वो सरोकार नही है। वादी द्वारा जो ख0न0 585/247 मे मकान रिहायशी बताया गया है। इस तरह का मौके पर कोई मकान नही है। वादी ने गलत तथ्यो के आधार पर वाद पेश किया है। जो काबिले खारिज है। निर्णय वो डिक्री दिनांक 22.11.10 न्यायालय श्रीमान के अनुसार ही न्यायालय श्रीमान मे इजराय फतेहमोहम्मद वनाम रूपसिंह आदि विचाराधीन है जिसमें तारीख पेशी 5.12.2011 की नियत है आराजीयात ख0न0 201,202,203 तथा पूर्व में ख0न0 585/247 बंजड होना सही है। आराजीयात 207 मिन प्रति0 की है तथा जिसके पास बंजड ख0 से0 585/247 है बीच मे कोई रास्ता ना तो था और ना ही है। पगडंडी दूरी पर है। वादी रास्ता आम में अपना मकान होना बताया है। जो गलत है। वादी को रास्ता आम में मकान बनाने को कोई कानूनी अधिकार नही है। किसी प्रकार से वादी दादरसी प्राप्त करने का अधिकरी नही बल्कि न्यायालय श्रीमान द्वारा वादी के कथनानुसार आम रास्ता मे मकान बनाने की बाबत आम जन के आवागमन में बाधा पैदा करने के जुर्म में 133 जा0 फौ0 की कार्यवाही किया जाकर वादी को दण्डित किया जाना न्यायसंगत है। अतः वाद वादी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

जवाब पेश होने के पश्चात निम्न तनकीयात कायम की गईः-

तनकी नं0-1

आया प्रश्नगत आराजी ख0न0 203 की तरफ रास्ते के पश्चिम में स्थित ख0न0 585/247 रकबा 4.400 हे0 मे से 50X57 फुट मे बने मकानात बने हुए है। तथा वादी खातेदार है। जिम्मेवादी

तनकी नंः-2

आया ख0न0 201,202,203 मे से ख0न0 203 की मुताबिक जमाबंदी 1 बीघा 9 बिस्वा का नक्शा ट्रैस बनाया हुआ है। जिससे संशोधित करवाने का वादी अधिकारी है। जिम्मेवादी

तनकी नं-3

आया वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मइम्तनाई निषेधाज्ञा कराने का अधिकारी है। जिम्मेवादी

तनकी-4

आया उक्त प्रश्नगत भूमि पर रिहायशी मकान स्थित नही है। तथा ख0न0 201,202,203 प्रतिवादीगण द्वारा जरिये रजिस्ट्री बाकब्जा कय की है। ओर वादी को नक्शा ट्रैस संशोधित कराने का हक नही है। जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी नं-5

आया वाद गलत तथ्यो के आधार पर न्यायालय मे पेश किया है जो काबिले खारिज किया जावे।

28/12/22

जिम्मे प्रतिवादीगण

6– दादरसी

तनकीयात कायम किये जाने के पश्चात उभयपक्ष की साक्ष्य ली गई। वादी ने साक्ष्य मे स्वयं के ब्यान पी0डब्लू–1,पीडब्लू –2, हेमराज पुत्र गुरूचरण, पीडब्लू–3 दिलीप पुत्र सोहनलाल, के ब्यान कलम्बद्ध कराये है। तथा दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने नक्शा ट्रेस प्रदर्श–1, नक्शा मोका प्रदर्श–2 नकल जमाबंदी संवत 2065–68 प्रदर्श–3 नकल मौका रिपोर्ट प्रदर्श –4 पेश किये है।

प्रतिवादीगण ने साक्ष्य में भडमल डीडब्लू–1, ईजाज डीडब्लू–2 साहबूदीन डीडब्लू–3 पेश किये। तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रतिवादी कोई साक्ष्य पेश नही की।

उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अद्यौपांत अवलोकन किया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है:–

तनकी नं0–1

आया प्रश्नगत आराजी ख0न0 203 की तरफ रास्ते के पश्चिम में स्थित ख0न0 585/247 रकबा 4.400 हे0 मे से 50X57 फुट मे बने मकानात बने हुए है। तथा वादी खातेदार है। इस तनकी का भार वादी पर था वादी ने इसे सिद्ध करने के लिए नकल जमाबंदी संवत 2065–2068 प्रदर्श–3 पेश की है जिसके अवलोकन से साबित है कि आराजी विवादित ख0न0 585/247 रकबा 4.4000 हे0 बंजड (सिवायचक) ना कि वादी खातेदार रहा सवाल प्रश्नगत आराजी ख0न0 203 जो प्रतिदीगण की खातेदारी की आराजी है। जिस पर वादी का कोई हक हकूक नही है। नक्शा दुरूस्ती बाबत वादी ने कोई साबिक रिकार्ड पेश नही किया जिससे यह मिलान किया जा सके कि साबिक एवं हाल ख0न0 में वादीगण व प्रतिवादीगण का विवादित आराजी पर कितना– कितना रकबा पर काबिज काश्त है। वादी ने नक्शा ट्रैस पेश किया है जिसमें रास्ते बाबत अंकन है। यदि उक्त विवादित ख0न0 मे कोई रास्ता है तो न्यायायल के आदेश उस रास्ते पर प्रभावी नही होगें। हाल राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी ख0न0 585/247 रकबा 4.4000हे0 बंजड दर्ज होने के कारण यह तनकी बहक प्रतिवादी विरूद्व वादी तय की जाती है।

तनकी नं0–2

आया ख0न0 201,202,203 मे से ख0न0 203 की मुताबिक जमाबंदी 1 बीघा 9 बिस्वा का नक्शा ट्रैस बनाया हुआ है। जिससे संशोधित करवाने का वादी अधिकारी है। इस तनकी का भार वादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2065–2068

28/12/22

के अनुसार प्रतिवादीगण खातेदार है। वादी ने नक्शा दुरूस्ती हेतु केवल मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं नक्शा ट्रैस की फोटो कोपी पेश की है जिससे यह ज्ञात नही होता की नक्शा मे भिन्नता कहा कब और कौनसे संवत में भिन्ता हुई है। साबिक रिकार्ड व मिलान क्षेत्रफल के बिना यह तनकी को सिद्व नही किया जा सकता अतः यह तनकी बहक प्रतिवादी विरूद्व वादी तय की जाती है।

तनकी नं–3 आया वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मइम्तनाई निषेधाज्ञा कराने का अधिकारी है। इस तनकी का भार वादी पर था लेकिन तनकी नं0 1 व 2 बहक प्रतिवादी विरूद्व वादी तय की जा चुकी है। तो यह तनकी भी विरूद्व वादी तय की जाती है।

तनकी–4 आया उक्त प्रश्नगत भूमि पर रिहायशी मकान स्थित नही है। तथा ख0न0 201,202,203 प्रतिवादीगण द्वारा जरिये रजिस्ट्री वाकब्जा क्रय की है। ओर वादी को नक्शा ट्रैस संशोधित कराने का हक नही है। इस तनकी का भार प्रतिवादीगण पर था जिसके बाबत वादी ने अपने वाद के पैरा सं0 2 में स्वयं बताया है कि विवादित आराजी ख0न0 201,202,203 प्रतिवादीगण की खरीद शुद्वा आराजी है। तथा वादी द्वारा पेश हाल जमाबदी संवत 2065–68 के अवलोकन से साबित है कि प्रतिवादीगण विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार है। इसलिए यह तनकी भी बहक प्रतिवादीगण विरूद्व वादी तय की जाती है।

तनकी नं–5 आया वाद गलत तथ्यो के आधार पर न्यायालय मे पेश किया है जो काबिले खारिज किया जावे। इस तनकी का भार प्रतिवादीगण पर था तनकी नं0 1,2,3,4, बहक प्रतिवादी विरूद्व वादी तय हो चुकी है। इस लिए यह तनकी भी विरूद्व वादी तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार विवेचनानुसार एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आभाव में वाद वादी काबिले खारिज करार पाता है। वादी का वाद खारिज किया जाना कानून संगत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है किः–

वाद वादी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण बाबत आराजी हाल ख0न0 201/0.37,,202/0.35हे0,203/0.37 हे0 रकबा 4 बीघा 07 बिस्वा व 585/247 रकबा 4.4000हे0 रकबा 02 बिस्वा वाके ग्राम झिरण्डिया की नक्शा दुरूस्ती बाबत दस्तावेजी आभाव में सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा उभयपक्ष स्वयं वहन करेगें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील दाखिल लेख भण्डार हो सुनाया गया।

28/12/22

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)